

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 45/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/65
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. भीखा पुत्र अदरींगा
2. दरिया देवी पत्नी भीखा
जाति पुरोहित निवासी जागसा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. कैंगोदेवी पत्नी खंगाराम
2. गणपत पुत्र खंगाराम
3. नेगाराम पुत्र खंगाराम
4. रामदयाल पुत्र खंगाराम
5. अणसी पत्नी लूम्बा
6. जगा पुत्र लूम्बा
7. गणपतराम पुत्र भीकाराम
8. छोगा पत्नी मगनाराम
9. वरधा पुत्र लिछमणा
10. समदा पत्नी भीकाराम
11. सांवलाराम पुत्र मगनाराम जाति कलबी
निवासी जागसा तहसील पचपदरा
12. नेना पुत्र नरिगा
13. मांगा पुत्र नरिगा
14. हरिराम पुत्र नरिगा जाति मेघवाल
निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा
15. गोपालराम पुत्र जेराराम
16. देवाराम पुत्र जेराराम
17. पसाणाराम पुत्र उकाराम
19. हरिराम पुत्र जेराराम
20. हरिराम पुत्र उकाराम
21. अणदाराम पुत्र नेनाराम
22. गणपत पुत्र नेनाराम
23. भीमा पुत्र सुरता
24. मांगा पुत्र सुरता
25. रूगाराम पुत्र नेना
26. आदित्यराम पुत्र भीमाराम
27. विमलेश पुत्र भीमाराम
28. सवाराम पुत्र भीमाराम



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

29. हेमीदेवी पत्नी भीमाराम

30. हस्तुदेवी पत्नी सोनाराम जाति कलवी

गिवासी जागसा तहसील पचपदरा

31. भारतीय स्टेट बैंक (S.B.B.J.) शाखा

टापरा जरिए शाखा प्रबंधक/मैनेजर

32. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,
पचपदराराजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 30.6.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ

उपखण्ड अधिकारी

विप्राथी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सड़ो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माडो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आगे दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आगे दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राथी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आगे दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा विप्राथी को मना करने के उपरांत भी विप्राथी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 की आवगी खातेदारी एवं खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 02 की आवगी खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण प्रथम द्विष्यता हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)



तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे) तहसीलदार से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायिक न्याय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.1.2025 की तारीख से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—आदेश—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1279/397,1280/397,1281/398 व खसरा संख्या 1286/398 कुल क्षेत्रफल 7.0657 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 398 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.6.2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा 30/06/2025